



सरकार

कारण मय, आयकर आयुक्त धनबाद ।

सं० ००-आ०आ०/घन०/तकनीकी/१२ए-१०/२००३-०४/

धनबाद, दिनांक 12 फरवरी 2004.....

आयकर अधिनियम, १९६१ की धारा १२ए/एए के तहत आदेश ।

श्री टिपी रजुक्शन रजिस्ट्रेशन ट्रस्ट, चिरकुंडा.....

मे आदेश अधिनियम 1 उपरोक्त धारा के तहत निबन्धन हेतु अपना आवेदन विहित प्रपत्र में दिनांक 14/11/2003 को अपने संस्थान दिनांक 12/07/2003 की प्रतिलिपि के साथ दिया है । उक्त आवेदन निर्धारित समय पर दिया गया है । संस्था का पंजीकरण आयकर अधिनियम की धारा १२ए/एए के अन्तर्गत 12/07/2003 से प्रभावी होगा । स्वीकृति प्रदान की जाती है ।

इस कार्यालय में धारा १२ए/एए के अधीन रखे गए आवेदन पत्र की पंजी में इस आवेदन को तकनीकी/१२ए-१०/२००२-०३/ संख्या में प्रविष्ट कर दिया गया है ।

(Signature)

आयकर आयुक्त, धनबाद ।

ज्ञापन सं०-आ०आ०/.../तकनीकी/१२ए-१०/२००३-०४/ 4843-45
धनबाद, दिनांक 12 फरवरी 2004

- 1. श्री टिपी रजुक्शन रजिस्ट्रेशन ट्रस्ट, चिरकुंडा
- 2. श्री आयकर आयुक्त, पारखोत्र- II धनबाद
- 3. श्री आयकर आयुक्त, अं- II, धनबाद । आयुक्त महोदय के निम्नलिखित निर्देशों के साथ :
 - १. उपरोक्त आवेदक की आयकर विवरणी प्राप्त करना सुनिश्चित करें ।
 - २. आयक धारा 11(8ए) की पात्रता के सम्बन्ध में आवश्यक जाँच करें ।

(Signature)

Certified to be true copy.

कृत - आयकर आयुक्त
धनबाद

(Signature)
05/01/2005
(K. M. PRASAD)
Office Superintendent
o/o the C. I. T. Dhanbad

